भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2708

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य

2708. श्री कृपानाथ मल्लाहः

श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छप्पन अतिरिक्त वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए दस सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों को चिह्नित करने के लिए अपनाये गए मानदंड क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय त्रिपुरा सहित देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के मॉडल को बढ़ाने या दोहराने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) अतिरिक्त परियोजनाएं मंजूर करने के लिए राज्यों का चयन, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक 2.0 (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के तहत पहले से मंजूर की गईं वाटरशेड विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनके कार्य-निष्पादन, जैसेकि कुल परियोजना लागत की तुलना में उपगत व्यय का प्रतिशत; प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक पर उपगत व्यय का अनुपात; अवक्रमित भूमि/ बंजर भूमि/ वर्षा-सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत; स्प्रिंगशेड संबंधी कार्यकलापों की संभावना वाले पहाड़ी राज्यों, के आधार पर किया गया था।

(ख) कार्यक्रम दिशानिर्देशों में वाटरशेड परियोजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाने वाली वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) के सृजन का प्रावधान किया गया है।

वाटरशेड परियोजनाओं के लिए ग्रामों के चयन हेतु अनिवार्य शर्तों में से एक शर्त, वाटरशेड विकास निधि के लिए लोगों की सम्मति और उनका अंशदान करना है। उक्त निधि का उपयोग प्रमुख हितधारकों के लाभार्थ सृजित साझा परिसंपत्तियों की मरम्मत, अनुरक्षण और उन्नयन के लिए किया जाना चाहिए, जिसे मनरेगा, आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से भी संपूरित किया जा सकता है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने "*जनभागीदारी*" के माध्यम से कम्युनिटी ड्रिवन वाटरशेड विकास को पूरा करने के लिए दिनांक 5 फरवरी, 2025 से 26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजना क्षेत्रों में एक मास आउटरीच कैंपेन "वाटरशेड यात्रा" भी शुरू की है। वाटरशेड यात्रा की गति को बनाए रखने के लिए, वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के कार्यों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने, स्थानीय निवासियों में स्वामित्व की भावना पैदा करने और वाटरशेड परियोजनाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करने के लिए जनभागीदारी कप की भी शुरुआत की गई।

विभाग ने हाल ही में, दिनाक 11 नवंबर, 2025 को गुंटूर में एक देश व्यापी अभियान 'वाटरशेड महोत्सव' भी शुरू किया गया है जिसे प्रत्येक वाटरशेड परियोजना क्षेत्र में मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वाटरशेड कार्यकलापों/ कार्यों को बढ़ावा देना और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उपलब्ध निधि के प्रभावी उपयोग में तेजी लाना है।

(ग) और (घ) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए आज तक, 28 राज्यों (त्रिपुरा सहित) और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित) को 12972.86 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी : 8487.97 करोड़ रुपये) की कुल लागत से 52.93 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करने वाली 1220 परियोजनाओं की स्वीकृति, पहले ही दे दी है। योजना की शुरुआत से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 5558.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (11.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार)। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2708 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	59
2	अरुणाचल प्रदेश	68
3	असम	38
4	बिहार	35
5	छत्तीसगढ	45
6	गोवा	5
7	गुजरात	51
8	हरियाणा	9
9	हिमाचल प्रदेश	35
10	झारखंड	30
11	कर्नाटक	78
12	केरल	6
13	मध्य प्रदेश	91
14	महाराष्ट्र	140
15	मणिपुर	13
16	मेघालय	32
17	मिजोरम	20
18	नागालैंड	14
19	ओडिशा	60
20	पंजाब	7
21	राजस्थान	159
22	सिक्किम	9
23	तमिलनाडु	34
24	तेलंगाना	35
25	त्रिपुरा	19
26	उत्तराखंड	15
27	उत्तर प्रदेश	56
28	पश्चिम बंगाल	27
29	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	19
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	11
	कुल	**1220**
